

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 628]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 16, 2018/माघ 27, 1939

No. 628]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 16, 2018/MAGHA 27, 1939

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 2018

का.आ. 710(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3463 (अ), तारीख 30 अक्टूबर, 2017, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में तारीख 30 अक्टूबर, 2017 को प्रकाशित की गई थी, में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थातः—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में,

क) क्रम संख्या 1 के सामने, कॉलम संख्या 3 में, गाँव “खेड़की दौला” के पहले “गुरुग्राम” के स्थान पर तहसील “मानेसर” प्रतिस्थापित की जाए ।

[फा.सं. पीआईयू/डीजीएलई/08/07]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

पाद टिप्पणी:—मूल अधिसूचना का.आ. 3463 (अ), तारीख 30 अक्टूबर, 2017, द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में, तारीख 30 अक्टूबर, 2017 को प्रकाशित की गई थी ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th February, 2018

S.O. 710(E).— In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby make the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highway No. S.O 3463 (E) dated the 30th October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 30th October, 2017 namely:-

In the Schedule to the said notification-

- i) Against serial number 1 before village “Kherki Daula” in Column number 3 Tehsil Manesar may be inserted in place of Gurugram.

[F. No. PIU/DGLE/08/07]

RAJESH GUPTA Dy. Secy.

Footnote: The Principal Notification was published vide S.O. 3463(E) dated the 30th October, 2017. Published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 30th October 2017.